चाहिए अगर ढंग का रोजगार तो क्रेडिट हिस्ट्री में करें सुधार

गोपनीय वित्तीय जानकारी रखने वाले पदों पर भर्ती के लिए कंपनियां खंगाल रहीं क्रेडिट हिस्ट्री

कार्तिक जेरोम

कर्ज पाने के लिए तो अच्छा क्रेडिट स्कोर हमेशा से जरूरी माना जाता था मगर अब ढंग की नौकरी पाने के लिए भी क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। पिछले दिनों आई खबरों के मुताबिक वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल में राज्य सभा में कहा कि पिछले तीन साल में बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा चुने गए 20 उम्मीदवारों की भर्ती इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी।

भर्ती के लिए कहां ज्यादा इस्तेमाल

नौकरी देते समय क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर की पड़ताल वित्तीय सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नजर आती है। 'अनलॉक द पावर ऑफ योर क्रेडिट स्कोर' पुस्तक के लेखक अरुण राममूर्ति का कहना है, 'क्रेडिट स्कोर ज्यादातर बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा (बीएफएसआई), फिनटेक तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में नौकरी देते समय देखा जाता है। इसका इस्तेमाल पैसे का लेनदेन संभालने वाले, कर्ज से जुड़े फैसले लेने वाले या गोपनीय जानकारी संभालने वाले पदों पर भर्ती करते समय ज्यादा किया जाता है।'

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के समूह मानव संसाधन प्रमुख नीरेन श्रीवास्तव के अनुसार वित्तीय सेवा क्षेत्र में यह तरीका पिछले 10 साल से जारी है। टू सर्च की पार्टनर और इंडिया लीड ऋतुपर्णा चक्रवर्ती बताती हैं, 'भारत के ज्यादातर वित्तीय संस्थानों में अब इसकी जांच जरूरी हो गई है।' क्रेडिट हिस्ट्री और स्कोर की जांच अब ज्यादा से ज्यादा कंपनियों और पदों के लिए होने लगी है। केएस लीगल ऐंड एसोसिएट्स की मैनेजिंग पार्टनर सोनम चंदवानी कहती हैं, 'कलेक्शन मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजमेंट, क्रेडिट अंडरराइटर और गोपनीय वित्तीय जानकारी या ग्राहकों के खाते संभालने वाले पदों या नौकरियों के लिए क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है।'

राममूर्ति बताते हैं कि वित्तीय क्षेत्र ही नहीं, किसी भी क्षेत्र की कंपनी में वरिष्ठ वित्तीय एवं ट्रेजरी पदों के लिए भर्ती करते समय क्रेडिट हिस्ट्री और स्कोर देखा जाता है। मगर ऋतुपर्णा का कहना है कि दूसरे क्षेत्रों में ऐसा करने का कोई नियम नहीं है, अगर क्रेडिट हिस्ट्री जांची जा रही है तो उसे अपवाद ही माना जाए। अलबत्ता निजी क्षेत्र में यह चलन अब बढ़ता जा रहा है। राममूर्ति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने भी अब यह काम शुरू कर दिया है। वह कहते हैं, 'नई बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भर्तियों में भी यह चलन बन गया है और इसका इस्तेमाल वहां नजर आने लगा है।'

क्यों होती है इसकी जांच

कंपनियां अपने यहां नौकरी की अर्जी देने वाले की क्रेडिट रिपोर्ट और हिस्ट्री को वित्तीय अनुशासन का प्रतीक मानते हैं। श्रीवास्तव कहते हैं, 'क्रेडिट हिस्ट्री से पता चलता है कि ग्राहक के पैसे संभालते समय व्यक्ति कितनी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम कर पाएगा।' क्रेडिट हिस्ट्री को कर्मचारी की ईमानदारी या निष्ठा का सबूत भी माना जाता है और इससे यह भी पता चल जाता है कि वह धोखाधड़ी तो नहीं करेगा या गलत चीजों के प्रभाव में तो नहीं आएगा। राममूर्ति कहते हैं, 'पैसे से जुड़े पदों पर काम करना हो तो कर्ज चुकाने के मामले में खराब रिकॉर्ड बताता है कि कदाचार या गलत फैसले लेने की आशंका ज्यादा हो सकती है।'

कितनी कानूनी मान्यता

भारत में नियोक्ताओं द्वारा क्रेडिट स्कोर के इस्तेमाल पर साफ रोक नहीं है। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि कानूनी तौर पर इसकी मान्यता इस बार निर्भर करती है कि इसकी कितनी जरूरत है, इसके लिए सहमति ली गई है और इसका कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार किया जाता है। नौकरी देने वालों को इसकी जानकारी निकालने से पहले उम्मीदवार को बताना चाहिए और उसकी रजामंदी लेनी चाहिए। सोनम कहती हैं, 'संविधान के अनुच्छेद 14 में तय किए गए निजता के संवैधानिक अधिकार को देखते हुए क्रेडिट हिस्ट्री का न तो मनमाना इस्तेमाल किया जाना चाहिए और न ही बेतुका।'

नियोक्ता जांच-पड़ताल की लंबी-चौड़ी प्रक्रिया के तहत कुछ खास पदों के लिए क्रेडिट स्कोर का सीमित इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनम आगाह करती हैं, 'इसे सभी पदों के लिए आवेदक छांटने का जरिया बना दिया गया तो कानूनी तौर पर इसकी मान्यता कम हो सकती है और इसे चुनौती भी दी जा सकती है।'

नियोक्ताओं को भर्ती के शुरुआती दौर में ही बता देना चाहिए कि अच्छा क्रेडिट स्कोर होना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय में चैंबर्स ऑफ वरुण कटियार में वकील वरुण कटियार कहते हैं, 'सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आदेश आ चुके हैं कि नौकरी देने से किसी ऐसी शर्त के आधार पर मना नहीं किया जा सकता, जो भर्ती के विज्ञापन में मौजूद नहीं थी।'

जिन पदों का वित्तीय जिम्मेदारी से कोई लेना-देना नहीं है, उनके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को खराब क्रेडिट स्कोर के नाम पर बिना सोचे-समझे मना नहीं किया जा सकता। ऐसा किया गया तो उसे मनमानी माना जा सकता है।

किसी उम्मीदवार को खारिज करने से पहले नियोक्ता को यह भी देखना चाहिए कि क्रेडिट स्कोर किस वजह से बिगड़ा है। सोनम की सलाह है, 'उन्हें इलाज के वास्ते लिए गए कर्ज, कुछ समय की वित्तीय परेशानी या विरासत में मिली दिक्कतों जैसी बातों पर भी गौर करना चाहिए।'

पहले ही जांच लें क्रेडिट रिपोर्ट

बीएफएसआई क्षेत्र में नौकरी के लिए जा रहे उम्मीदवारों को खास तौर पर आवेदन करने से 6 से 12 महीने पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर जांच लेनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें देखना चाहिए कि कर्ज और दूसरी देनदारी चुकाने का उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है। ट्रांसयूनियन सिबिल के प्रवक्ता कहते हैं कि क्रेडिट स्कोर पर इस बात का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उम्मीदवारों को यह भी देख लेना चाहिए कि उनके नाम पर डीफॉल्ट, देर से अदायगी और बकाया खाते तो नहीं चढ़े हैं।

इस प्रकार की चूक भी क्रेडिट स्कोर कम कर सकती हैं। अगर उम्मीदवार को अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसा कर्ज दिखता है, जो उसने लिया ही नहीं था या अदायगी के रिकॉर्ड में गलती नजर आती है तो उसे फौरन क्रेडिट ब्यूरो से शिकायत करनी चाहिए। जिस बैंक या संस्था से गलत जानकारी मिली है, ब्यूरो तुरंत उसके पास शिकायत भेजता है। ऐसी शिकायतें आम तौर पर 30 दिन के भीतर निपटा दी जाती हैं।

स्कोर सुधारने में लगता है समय

क्रेडिट स्कोर काफी हद तक किसी व्यक्ति की पिछले दो से तीन साल के क्रेडिट रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। क्रिफ हाई मार्क के मुख्य परिचालन अधिकारी सुनील अगिठाकलिया समझाते हैं, 'क्रेडिट स्कोर हाल-फिलहाल में किए गए कामों के बजाय लंबे अरसे तक अनुशासित व्यवहार से सुधरते हैं। कई मामलों मे समय पर अदायगी और कर्ज यानी क्रेडिट कार्ड आदि के नियंत्रित इस्तेमाल से केवल तीन से छह महीने में ही सुधार नजर आने लगता है।'

जी-सेक: निवेश अवधि सही रखें और ब्याज दर के जोखिम से बचें

हिमाली पटेल

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध, बढ़ती यील्ड, शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और नवंबर 2021 में शुरू किए गए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की जानकारी के कारण सरकारी प्रतिभूतियों में सुरक्षित निवेश के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर खरीद-फरोख्त की गतिविधियां एक साल पहले करीब 1,756.08 करोड़ रुपये की थीं जो बढ़कर 16 मार्च, 2026 तक करीब 8,211.91 करोड़ रुपये की हो चुकी हैं।

बढ़ती लोकप्रियता

ये प्रतिभूतियां आसानी से उपलब्ध होने के कारण लोकप्रिय हो गई हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के प्रमुख (धन प्रबंधन- तय आय) हरित ओबेरॉय के मुताबिक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से व्यक्तिगत निवेशकों के लिए उपलब्धता और पारदर्शिता काफी बढ़ी हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों में क्रेडिट जोखिम बहुत कम होता है। स्टेबल मनी के सह-संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी सौरभ जैन कहते हैं, 'इनमें निवेशकों को सरकारी गारंटी वाली सुरक्षा मिलती है, इसलिए डेट के लिहाज से ये सबसे भरोसेमंद हैं।' इस समय यील्ड भी इसे आकर्षक बना रही है। 6 अक्टूबर 2035 को परिपक्व होने जा रहे 6.48जीएस 2035 बॉन्ड पर करीब 6.74 फीसदी यील्ड चल रही है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक 10 वर्षीय सावधि जमा (एफडी) पर 6.05 फीसदी और एचडीएफसी बैंक 6.15 फीसदी ब्याज दे रहा है। जैन के हिसाब से इस यील्ड पर सरकारी प्रतिभूतियां पूंजी की सुरक्षा के साथ पर्याप्त आय दे रही हैं। इनमें हर छह महीने में कूपन यानी ब्याज भुगतान से नकदी भी आती रहती है।

ब्याज दर जोखिम से रहें सतर्क

मगर सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर का जोखिम बड़ी चिंता है। जिराफ के सह-संस्थापक सौरभ घोष कहते हैं, 'यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमत घटती है। ऐसे में वक्त से पहले बॉन्ड भुनाने वाले निवेशकों को मार्क टु मार्केट घाटा हो सकता है।'

दोबारा निवेशक करने पर भी जोखिम रहता है। जैन समझाते हैं, 'ब्याज दर घट रही हों तो प्रतिभूतियों से मिली रकम कम यील्ड पर दोबारा निवेश करनी पड़ सकती है।' तरलता बढ़ी है मगर अलग-अलग अवधियों के लिए अलग-अलग है। जैन के अनुसार इससे कुछ खुदरा निवेशकों का फायदा कम हो सकता है।

सरकारी प्रतिभूतियों पर कर

कूपन आय पर निवेशक के आय स्लैब के मुताबिक कर वसूला जाता है। प्रतिभूति परिपक्व होने तक रखी जाए तो पूंजीगत लाभ नहीं माना जाता मगर प्रतिभूति 12 महीने रखने के बाद भुनाया जाए तो लाभ पर इंडेक्सेशन के बिना 12.5 फीसदी दर से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगता है। 12 महीने के भीतर भुनाएं तो आयकर स्लैब के अनुसार कर लगता है।

कैसे चुनें सरकारी प्रतिभूति

परिपक्वता पर यील्ड बड़ा पैमाना है। मगर ब्याज दर और निवेश अवधि के जोखिम का हिसाब भी रखा जाना चाहिए। ग्रिप इन्वेस्ट के संस्थापक और समूह सीईओ निखिल अग्रवाल कहते हैं कि लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में ब्याज दरों में कीमत पर ब्याज दरों का ज्यादा असर पड़ता है। नकदी की जरूरत भी जरूरी पैमाना है। इंडियाबॉन्ड्स डॉट कॉम के सह-संस्थापक विशाल गोयनका की राय है कि निवेशकों को भविष्य में नकदी की जरूरत के हिसाब से परिपक्वता चुननी चाहिए। कम अवधि की प्रतिभूतियां अल्पावधि जरूरतों के लिए बेहतर विकल्प हैं। घोष कहते हैं, 'लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां ब्याज दर जोखिम को समझने वाले और उतार-चढ़ाव में भी निवेश बनाए रखने वालों के लिए अच्छी हैं।' लैडरिंग जोखिम को घटाती है। अग्रवाल कहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा निवेश अलग-अलग अवधियों के लिए करने पर टुकड़ों में तरलता आती रहती है। अग्रवाल कहते हैं, '5 से 10 साल की अवधि अधिकतर खुदरा निवेशकों के लिए उचित संतुलन प्रदान करती है।'

किन विकल्पों पर करें विचार

ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो निवेश लायक कॉरपोरेट बॉन्ड पर विचार करना चाहिए। अग्रवाल बताते हैं, 'इनकी ब्याज दर आम तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से 100-200 आधार अंक ज्यादा रहती हैं।'

कॉरपोरेट बॉन्ड में सरकारी बॉन्ड से ज्यादा क्रेडिट जोखिम होता है। मगर अग्रवाल के अनुसार अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में उन निवेशकों को जोखिम लेने पर अच्छा फायदा मिल सकता है, जो पूरी अवधि तक निवेश बनाए रखते हैं।

गोयनका ने कहा कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट वाले बॉन्ड में एक निश्चित अवधि तक निवेश रखना पड़ता है, इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों के मुकाबले इन्हें कम पसंद किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पहली बार निवेश करने वालों को बॉन्ड खरीदने के बाद कुछ समय तक निवेश बनाए रखना चाहिए।

व्यापार गोष्ठी | विषय: सोशल मीडिया पर कंटेंट के प्रस्तावित नियमों पर आपकी राय ?

नियमन और जवाबदेही सही लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर आंच नहीं

नियमों का क्रियान्वयन निष्पक्ष हो

स्वतंत्रता को स्वछंदता मान लेने का दुष्परिणाम है कि आज सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाएं, ट्रोलिंग और घृणास्पद भाषण के साथ ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इनके कारण समाज के विकृत हो रहे स्वरूप को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंटेंट के प्रस्तावित नियमों को लागू किया जाना आवश्यक है। नियमों का क्रियान्वयन पारदर्शी और निष्पक्ष हो।

वर्षा अग्रवाल
भोपाल, मध्य प्रदेश

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंता

प्रस्तावित नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया मध्यस्थों की जिम्मेदारी बढ़ाकर फेक न्यूज, भ्रामक सूचना और सामाजिक अशांति रोकना है। दायरा अब 'नॉन-पब्लिशर' उपयोगकर्ता की न्यूज/करंट अफेयर सामग्री होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म तक बढ़ेगा। नियम 14 के तहत नियामक शक्तियां भी विस्तृत होंगी। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यूज की परिभाषा को लेकर चिंताएं हैं।

विभूति बुपक्या
दिल्ली

नियम स्पष्ट, पारदर्शी और संतुलित हो

सोशल मीडिया पर कंटेंट के लिए प्रस्तावित नियम आवश्यक हैं क्योंकि फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी और हेट स्पीच जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन इन्हें लागू करते समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान होना चाहिए। अत्यधिक कठोर या अस्पष्ट नियम नागरिकों की आवाज दबा सकते हैं। इसलिए नियम स्पष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शी और संतुलित होने चाहिए।

यशवंत लोभाने
इंदौर, मध्य प्रदेश

नियमों में व्यावहारिकता आवश्यक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश की जा रही फेक न्यूज, साइबर बुलिंग और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली सामग्री से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। देश में घृणा और वैमनस्य को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कंटेंट को नियंत्रित करने के प्रस्तावित नियम आवश्यक पहल है। वस्तुतः नियमों का उद्देश्य सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने के लिए सकारात्मक कदम है।

कृतिका अग्रवाल
मुंबई, महाराष्ट्र

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हो संतुलन

सोशल मीडिया कंटेंट के प्रस्तावित नियम अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाएंगे। नए नियमों में स्पष्ट कारण सहित नोटिस जारी करना, उच्च अधिकारी से आदेश जारी करना और 'सेफ हार्बर' का दुरुपयोग रोकना शामिल है। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा। लेकिन प्रशासनिक शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

दुरुपयोग पर लगेगी प्रभावी रोक

प्रस्तावित नए नियम के अनुसार अदालत या सरकार के निर्देश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक, फेक या एआई जनित कंटेंट तीन घंटे में हटाना होगा। वॉइस क्लोनिंग और फेस स्वैप जैसी एआई सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग भी जरूरी होगी ताकि उपयोगकर्ता असली-नकली में अंतर कर सकें। आदेश न मानने पर प्लेटफॉर्म की सेफ हार्बर सुरक्षा हट सकती है।

विभा पांडेय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

जवाबदेही होगी सुनिश्चित

सोशल मीडिया पर कंटेंट के प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य एक सुरक्षित और जवाबदेह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना है। लेकिन इसका सीधा असर उन पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर पर पड़ेगा, जो अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

बाल गोविंद
नोएडा, उत्तर प्रदेश

स्वतंत्रता बनाए रखने की चुनौती

सोशल मीडिया कंटेंट के नियमन के लिए प्रस्तावित मसौदा फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने की मंशा रखता है, पर इसके लागू होने पर डिजिटल क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर और स्वतंत्र पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इन्हें नियमन के दायरे में लाने से प्रशासकीय नियंत्रण बढ़ सकता है।

डॉ ऋषभ देव पांडेय
जांजगीर, छत्तीसगढ़

सोशल मीडिया पर सख्ती

आईटी नियम के अंतर्गत डीप फेक, भ्रामक जानकारी और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया में कंटेंट के लिए कई बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिनमें यदि कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो एआई से बनाया या बदला गया है तो उस पर एआई जनित की लेबलिंग जरूरी है। डिजिटल कंटेंट को देखने के लिए अब आयु आधारित वर्गीकरण करना होगा।

भगवानदास छारिया
इंदौर, मध्य प्रदेश

साइबर अपराध में कमी आएगी

प्रस्तावित सोशल मीडिया नियम देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। एआई जनित या सिंथेटिक सामग्री पर अनिवार्य लेबलिंग से भ्रामक कंटेंट की पहचान आसान होगी। हानिकारक या अवैध सामग्री को चिह्नित होने के बाद तीन घंटे में हटाना होगा। इन नियमों से साइबर अपराधों में कमी आने की उम्मीद है।

ललित महालकरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

जवाबदेही व पारदर्शिता के बीच संतुलन

कंटेंट नियमों का मूल संतुलन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जवाबदेही और पारदर्शिता के बीच होना चाहिए। केवल कंटेंट हटाना पर्याप्त नहीं है, यह भी जरूरी है कि एल्गोरिद्म किस प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि अक्सर सनसनीखेज और भावनात्मक सामग्री ही अधिक फैलती है। नियम ऐसे हों जो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए जिम्मेदार, तथ्यपरक और संतुलित संवाद को बढ़ावा दें।

विजय सिंह अधिकारी
नैनीताल, उत्तराखंड

प्रस्तावित नियम स्पष्ट और निष्पक्ष हो

प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य समाज और लोकतंत्र के लिए हानिकारक भ्रामक सूचनाएं और दुष्प्रचार पर रोक लगाना है। लेकिन इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और संतुलन भी अति आवश्यक है। एक स्वतंत्र और सुरक्षित डिजिटल वातावरण तभी संभव है जब प्रस्तावित नियम स्पष्ट, निष्पक्ष और नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान बनाए रखने वाले हो।

हेमेश कुमार
अहमदाबाद, गुजरात

बकौल विश्लेषक

सोशल मीडिया कंपनियां बनेंगी जबावदेह

सोशल मीडिया पर कंटेंट के प्रस्तावित नियमों से कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर भी नियमन के दायरे में आएंगे। इन नियमों से सोशल मीडिया कंपनियों की भी जबावदेही तय होगी। अगर सोशल मीडिया कंपनियों को यह बताया जा रहा है कि कंटेंट भ्रामक, गलत, देश विरोधी, एआई जनित आदि है तो उसे 3 घंटे के भीतर ब्लॉक करके हटाना होगा। साथ ही उन्हें नियमों का अनुपालन करना ही पड़ेगा। ये नियम फेक या भ्रामक कंटेंट को नियंत्रित करने में मददगार हो सकते हैं। प्रस्तावित नियमों से निजता के हनन की बात कही जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इन नियमों का निजता और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नियम किसी को हानि पहुंचाने वाले विचारों पर ही लगाम लगाएंगे। एआई लेबलिंग कंटेंट का जिक्र करने का प्रस्तावित नियम भी सही कदम है। कुल मिलाकर प्रस्तावित ये नियम सही दिशा में हैं और इन्हें जल्द लागू करना होगा। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इनमें संशोधन भी किया जा सकता है।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

एडवोकेट पुनीत भसीन
साइबर कानून विशेषज्ञ

उत्तरदायित्व वाले बने नियम

सोशल मीडिया सामग्री पर उत्तरदायित्व लाने का इरादा समयोचित और आवश्यक है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तविक सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो जनमत, निर्वाचन बहस और यहां तक कि वित्तीय निर्णय लेने को आकार दे रहे हैं। भारत में 50 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ, व्हाट्सऐप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने 2024 लोक सभा चुनावों के दौरान गलत सूचना को बढ़ावा दिया और वायरल पंप-ऐंड-डंप योजनाओं के माध्यम से वित्तीय घोटालों को हवा दी। सोशल मीडिया मंच उपयोगकर्ताओं द्वारा डाली गई सामग्री के लिए उसी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते जैसे एक पारंपरिक समाचार प्रकाशक होता है। पंजीकृत मीडिया हाउसों और सोशल प्लेटफॉर्म के लिए एकसमान मॉडल सफल नहीं हो सकता है। इसके बजाय, नियामक दृष्टिकोण को सामग्री नियंत्रण से सिस्टम उत्तरदायित्व की ओर स्थानांतरित करना होगा।

बातचीत: सुशील मिश्र

अंकित पांडेय
सीटीओ, क्रेडटेक सॉल्यूशंस

पुरस्कृत पत्र

1

धनेश्वर सूर्यवंशी
पामगढ़, छत्तीसगढ़

पुरस्कार राशि
500 रुपये

नियमों में लचीलापन, निष्पक्षता है जरूरी

सोशल मीडिया पर कंटेंट के प्रस्तावित नियम दुष्प्रचार, डीपफेक और अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए निस्संदेह आवश्यक हैं। लेकिन कंटेंट हटाने के लिए तीन घंटे की समय सीमा अत्यंत कम प्रतीत होती है और सेफ हार्बर का दर्जा समाप्त करने जैसी कठोर कार्रवाई वैध अभिव्यक्ति को भी हतोत्साहित कर सकती है। इससे रचनात्मक स्वतंत्रता पर अनावश्यक दबाव बन सकता है। त्वरित और पर्याप्त अवसर दिए बगैर की गई कार्यवाही निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा सकती है।

श्रेष्ठ पत्र

प्रीति
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश

नियमन युक्तियुक्त हो

सोशल मीडिया पर घृणा, फेक न्यूज और विदेशी हस्तक्षेप रोकना जरूरी है। लेकिन सरकारी नियंत्रण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। नियम पारदर्शी, तकनीकी तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए। सेंसरशिप की जगह उपयोगकर्ता सशक्तीकरण, स्पष्ट दिशानिर्देश और स्वतंत्र निगरानी को प्राथमिकता दी जाए व नियम युक्तियुक्त हो क्योंकि अत्यधिक नियंत्रण लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है।

गजानन पांडेय
हैदराबाद, तेलंगाना

फर्जी खबरों पर नियंत्रण

सोशल मीडिया कंपनियों को अदालत या सरकार के आदेश पर गैर कानूनी कंटेंट को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। फेक न्यूज, ट्रोलिंग फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है। हर प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली होना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल स्पेस में फैलने वाली फर्जी खबरों व भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण पाना है ताकि ऑनलाइन सुरक्षा, संप्रभुता व सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।

प्रो. आरके जैन
बड़वानी, मध्य प्रदेश

स्वायत्तता होगी प्रभावित

डिजिटल स्पेस में प्रस्तावित आईटी नियम सुरक्षा और जवाबदेही का नया ढांचा पेश करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निगरानी के बीच संतुलन चुनौतीपूर्ण है। छोटे क्रिएटर और सामान्य उपयोगकर्ता पर सख्त नियंत्रण उनकी स्वायत्तता घटा सकता है और डिजिटल भय का वातावरण बना सकता है। हालांकि फेक न्यूज, ट्रोलिंग और घृणास्पद सामग्री को रोकना अपरिहार्य है।

...और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी में आपके विचारों को प्रकाशित करते हैं। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -

यूपीआई भुगतान में एक घंटे की देरी कितनी सही ?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in